संख्या-9/2026/001-555-83-2026-2044299

प्रेषक,

मनोज कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा निदेशालय,
उ0प्र0,लखनऊ।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 29 जुलाई, 2026**

विषय:- केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के परिसर में स्थित बाउंड्रीवॉल एवं भवनों की मरम्मत तथा जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ०प्र० के पत्रांक 517/अनु-1/118/2018 पार्ट-II, दिनांक 19.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के परिसर में स्थित बाउंड्रीवॉल एवं भवनों की मरम्मत तथा जीर्णोद्धार हेतु नामित कार्यदायी संस्था "उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0)" द्वारा प्रस्तुत आगणन रु0 967.96 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0) द्वारा मूल्यांकित धनराशि रु0 952.58 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-027 के लेखाशीर्षक 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 01- कार्यालय भवन-051-निर्माण - 04- केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के परिसर में स्थित बाउंड्रीवॉल एवं भवनों की मरम्मत तथा जीर्णोद्धार की मानक मद 25- लघु निर्माण कार्य मद से प्राविधानित एकमुश्त धनराशि रु0 500.00 लाख के सापेक्ष रु0 250.00 लाख (रु0 दो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

करोड़ पचास लाख मात्र) को प्रथम किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु निर्गत की गयी धनराशियों के नियम संगत व्यय, व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाणपत्र, भौतिक प्रगति तथा गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का सम्पूर्ण दायित्व निदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ०प्र०लखनऊकाहोगा।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा आहरित कर सीधे सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि से प्रश्नगत निर्माण कार्य समय पर पूर्ण कराने की पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ की होगी।
(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइडलाइन्स) के अनुरूप करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करने से पूर्व प्रश्नगत निर्माण हेतु भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जायेगी। विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त औपचारिकताओ, आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरण क्लियरैन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/ सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
(7) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि पी0एफ0ए0डी के पूर्व अनुमोदन के प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
(8) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। निदेशक नागरिक सुरक्षा परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन, कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दि0 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में क्रय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(10) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ का होगा।

(11) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(12) निदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 में निहित प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

(13) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ का होगा।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने तथा कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त अगले छः माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(17) कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/ निदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(18) निदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृतियों से संबंधित वित्तीय प्रबन्धन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के नवीनतम शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स/यथावश्यकता जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।

(20) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए ।

(22) निदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा पी0एफ0ए0डी0 की सभी शर्तों (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(23) व्यय नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं०-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(24) प्र0वि0 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 में निहित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत परियोजना के कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(25) निदेशक नागरिक सुरक्षा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरणों/सामग्री का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा।

(26) निदेशक नागरिक सुरक्षा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(27) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं उनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक ए माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अन्तर आना स्वाभाविक है।

(28) निदेशक नागरिक सुरक्षा द्वारा भवन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी आडिट हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में वित्त (लेखा) अनु0-2 द्वारा दिनांक 02 जनवरी, 2026 को निर्गत शासनादेश में दी गयी व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(29) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2027 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 027 **लेखा शीर्षक** 4059010510400 केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के परिसर में स्थित बाउण्ड्रीवाल एवं भवनों की मरम्मत तथा जीर्णोद्धार **मानक मद** 25 लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-12-148-X-2026-27, दिनांक 28 जुलाई, 2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज कुमार राय
विशेष सचिव।

संख्या-9 /2026/001-555(1)-83-2026-2044299, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/ (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/ प्रयागराज।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।

7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0), लखनऊ।

8- कमांडेंट, केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० लखनऊ।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार राय

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।